RTI APPEAL DETAILS

RTI Appeal Registration No. :	DOSIR/A/E/21/00007	**RTI Appeal Received Date :**	23/06/2021
RTI Request Registration No. :	DOSIR/R/X/21/00002	**RTI Request Registration Date :**	15/05/2021
Name :	Ravindra Kumar Kashyap	**Gender :**	Male
Address :	L 3 487 vineet khandGomtinagarLucknow		
Pin Code :	226010		
State :	Details not provided	**Country :**	India
Phone :	Details not provided	**Mobile No :**	+91-7007876867
Email :	ravindrakashyap40@gmail.com		
Status :	Urban	**Educational Status :**	Details not provided.
Citizenship :	Indian	**Is Appellant below poverty line ? :**	No
CPIO of Public Authority Approached :	870	**CPIO's Order/Decision Date :**	Details not provided
CPIO's Order/Decision No. :	Details not provided		
Ground For Appeal :	Provided Incomplete,Misleading or False Information		
Text of RTI First Appeal :	To, Appleate Authority Department of Scientific & Industrial Research Sir, Sub first appeal under RTI act 2005 regarding RTI application no.DOSIR/R/X/21/00002 Kindly find attached rti first appeal request in respect of rti response of my RTI application for your kind perusal please. Thanks with regards Ravindra Kumar Kashyap		

Print Close

सेवा में,
अपीलीय अधिकारी

महोदय,
विषय आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के तहत प्रथम अपील बाबत

सादर निवेदन है कि मुझे आपके विभाग द्वारा प्रेषित सूचना का सन्दर्भ लेने कष्ट करें,जो कि आपके विभाग में DEPwD(दिव्यांगजन) के द्वारा RTI ACT 2005 की धारा 6(3) के तहत ट्रांसफर की गई है।इस सम्बंध में निवेदन है कि-

1- आपके मंत्रालय/विभाग में लोकोमोटर डिसेबिलिटी को OL,BL,OAL,BAL,BA,इत्यादि में जिस प्रकार उप विभाजित करके पदों को चिन्हित किया गया है,वह एक्ट की धारा 34(C)के विपरीत है,जैसा कि एक्ट की धारा 34(C)में स्पष्ट है कि(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and
muscular dystrophy;

आपके विभाग द्वारा अंगों का कमी व बनावट के आधार पर भेदभाव करते हुए बोथ लेग/बोथ आर्म अफ्फेक्टेड विकलांगजन को इंजीनियरिंग/टेक्निकल सहित तमाम पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है।यह RPwDएक्ट 2016 की धारा 20, जो कि विकलांगता के आधार रोजगार में भेदभाव को निषेध करती है,के खिलाफ है।कृपया संज्ञान लें कि एक्ट के किसी भी धारा में लोकोमोटीर डिसएबल को OL,BL,OAL,BAL,BA,OA इत्यादि के आधार पर उप विभाजित करके भेदभाव नहीं किया गया है।

2- आपके मंत्रालय/विभाग द्वारा RPwD एक्ट 2016 के आर्टिकल 34(C) की कैटेगरी की मूल परिभाषा में छेड़छाड़/मैन्युपुलेशन करते हुए मूल परिभाषा में लोकोमोटर डिसएबल में उप विभाजन कर के कैटेगरी C की परिभाषा मनमर्जी से गढ़ दी गई है जो कि इस प्रकार है-c) locomotor disability(OL,BL,OAL,BAL,BA,OA) including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

3- एक्ट की धारा 33(ii) की गाइडलाइन्स के अनुसार आपके विभाग द्वारा विकलांगजनों हेतु पदों की चिन्हित करने वाली एक्सपर्ट कमेटी में सम्बन्धित प्रत्येक वर्ग तथा उपवर्ग(locomotor disability(OL,BL,OAL,BAL,BA,OA) including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and
muscular dystrophy;) का प्रतिनिधित्व करने हेतु सदस्य नामित नहीं किया गया है,इस प्रकार गठित कमेटी एक्ट के अनुरूप नहीं है। आप का मंत्रालय ग्रुप B के मंत्रालयों की श्रेणी में आता है,कारण कि आपके मंत्रालय द्वारा एक्ट के आर्टिक्ल 34(C)में लोकोमोटर डिसएबल की बताई गई परिभाष में छेड़छाड़ करते हुए भेदभावपूर्ण ढंग से पदों को चिंहित किया है,जिससे LD BL तथा LD BA का एक बड़ा वर्ग रोजगार पाने से वंचित हुआ है।

प्रश्नगत आर0टी0आई0आवेदन के बिंदु संख्या 1 से लेकर 6 तक का संज्ञान लें,जो कि इसी सम्बन्ध में है तथा आपके विभाग द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए सूचना देने से किनारा किया जा रहा है।
बिंदु संख्या 7 में स्पष्ट रूप से सूचना मांगी गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में complience उन मन्त्रालयो/विभागों द्वारा विधिवत रूप से किया गया है जिन्होंने एक्ट की धारा 34(c) को हूबहू/as it is लागू करते हुए job identify किए हैं अथवा उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा जिन्होंने एक्ट की धारा 33(ii),34,(C) को manupulate करते हुए मनमर्जी से एक्ट की गाइडलाइन्स की अनदेखी झरते हए प्रभावित अंगों के आधार पर भेदभाव करते हए post identify किया है।

4-RPwD एक्ट 2016 की धारा 33 (ii) में कहा गया है कि,constitute an expert committee with representation of persons with benchmark disabilities for identification of such posts;

कृपया संज्ञान लें कि,एक्ट की धारा 33 (ii) में पोस्ट चिन्हित करने वाली एक्सपर्ट कमेटी में benchmark disability के दिव्यांगजन के प्रतिनिधित्व का निर्देश दिया है,परन्तु आपके विभाग द्वारा इसकी अनदेखी की गई है।आपके द्वारा गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी में लोकोमोटर डिसएबल के प्रत्येक दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व नहीं है,जैसा कि आपके विभाग तथा भारत सरकार के अधीन अन्य कई संस्थानों द्वारा पदों को चिन्हित करते हुए लोकोमोटर डिसएबल को OL,BL,OAL,BAL,BA,OA इत्यादि में उपविभाजित करके किया गया है।

5-RPwD एक्ट 2016 के आर्टिकल 34(C) में लोकोमोटर डिसएबल की defination में लोकोमोटर disable को OL,BL,OAL,BAL,BA,OA इत्यादि में उप विभाजित नहीं किया गया है,तदनुसार DEPwD(दिव्यांगजन)MOSJE नई दिल्ली के द्वारा दिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हित करने वाली एक्सपर्ट कमेटी में लोकोमोटर डिसएबल/ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड कैटेगरी का केवल एक ही प्रतिनिधि रखा ही गया है,परन्तु लोकोमोटर डिसएबल डिसएबल हेतु जॉब identified करते समय इसे OL,BL,OAL,BAL,BA,OA इत्यादि की कई उपश्रेणियों में बांट दिया मनमर्ज़ी तरीके से बांट कर एक्ट की गाइडलाइन्स का उल्लंघन किया गया है।
यही प्रक्रिया जस की तस अन्य गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंटस द्वारा अपनाई है तथा लैंगिक/शारीरिक कमी के आधार पर विकलांग जनों के मध्य रोजगार देने में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए BL तथा BA उपश्रेणी के लोकोमोटर दिव्यांगजनों को वंचित किया गया है,जो कि एक्ट के आर्टिकल 20 के खिलाफ है।।

आपके विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से एक्ट की धारा 33(ii),34(C) तथा 20 का violation करते हुए पदों को चिन्हित किया गया है तथा भ्रामक रूप से गोलमटोल सूचनाएं दी जा रही हैं।

6- RPwD एक्ट 2016 के क्रम में जारी किए गए भारत के गजट का Point no. 9 में कार्यात्मक आवश्यकता/physical requirement यानि

कि S,ST,W,BN,C तथा valid disability certificate की बात लिखी है न कि OL,BL,OA,BA इत्यादि में उपविभाजित करने की,कृपया पदों को चिन्हित करते समय संज्ञान में लेने की कृपा करें।

7- DEPWD(दिव्यांगजन) द्वारा आपके कार्यालय में ट्रांसफर की गई प्रश्नगत आर0टी0आई0 के आवेदन पत्र में ग्रुप A के तहत उन विभागों/मंत्रालयों को श्रेणीबद्ध किया गया है,जिन मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक्ट के आर्टिकल 33 तथा 34 का अक्षरशः पालन करते हुए दिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हित किया गया है

8-DEPWD(दिव्यांगजन) द्वारा आपके कार्यालय में ट्रांसफर की गई प्रश्नगत आर0टी0आई0 के आवेदन पत्र में ग्रुप B के तहत उन विभागों/मंत्रालयों को श्रेणीबद्ध किया गया है,जिन मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक्ट के आर्टिकल 33 तथा 34 का अक्षरशः पालन न करते हुए दिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हित किया गया है तथा लोकोमोटोर दिसबलेलिटी को OL,BL,OA,BA इत्यादि में उपविभाजित करते हुए भेदभावपूर्ण विधि से पदों को चिन्हित किया गया है/चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया में है।
कृपया स्पष्ट हों कि प्रश्नगत आर0टी0आई आवेदन के बिंदु संख्या 6 व 7 में बताए गए ग्रुप A तथा ग्रुप B को ग्रुप A तथा B कैटेगरी की पोस्ट न समझ जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि आपके विभाग द्वारा एक्ट की धारा 33(ii) तथा 34(C) की गाइडलाइन्स को नजरअंदाज करते हुए मनमर्जी से भेदभावपूर्ण ढंग से पदों को चिन्हित किया है /चिन्हित किए जाने के प्रक्रिया में है जिससे लोकोमोटर डिसएबिलिटी का एक बड़ा वर्ग रोजगार पाने से वंचित हो रहा है।इस वजह से जानबूझकर सूचनाएं छुपाई जा रही हैं व गुमराह किया जा रहा है ।अतः आपसे विनम्र अपील है कि कृपया वांछित सूचनाओं के प्रत्येक विंदु का संज्ञान लेते हुए सूचनाएं उपलब्ध करवाने की की कृपा करें,चूंकि वह क्रमबद्ध हैं व एक दूसरे से जुड़ी हैं।

सम्मान सहित
प्रार्थी,

रवींद्र कुमार कश्यप
एल 3/487,विनीत खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
मो07007876867